आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
08.09.2023	**वाद सं0–35 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्त्ता श्री चन्दन हाजरा, प्रखण्ड–जमुआ, पंचायत–लताकी, जिला–गिरिडीह Telephonic Conference के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से प्रभारी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकरी, जमुआ, श्री देवलाल रजवार आयोग कार्यालय में उपस्थित। आयोग में उपस्थित प्रभारी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकरी, जमुआ, देवलाल रजवार ने आयोग को लिखित प्रतिवेदन समर्पित करते हुए यह बताया है कि शिकायतकर्त्ता ने जिस अवधि का राशन उपलब्ध नहीं कराने की शिकायत की है, उस अवधि का राशन संबंधित उपभोक्ताओं को उपलब्ध करा दिया गया है, और इस आशय का प्रमाण प्रतिवेदन के माध्यम से समर्पित किया गया है। जिसमें लाभुकों को राशन प्राप्त करने का प्रमाण भी उपलब्ध है। सुनवाई में टेलिफोन से जुड़े शिकायतकर्त्ता को जब आयोग ने यह कहा की लाभुकों को अनाज उपलब्ध कराने का प्रमाण आयोग में पेश किया गया है ऐसे में शिकायतकर्त्ता ने यह कहा कि उनका अंगुठा ले लिया गया है किन्तु उनको राशन उपलब्ध नहीं कराया गया है। आयोग ने शिकायतकर्त्ता को कहा कि यदि शिकायतकर्त्ता बिना अनाज प्राप्त किये अंगुठा लगा देते है तो ऐसे में आयोग कुछ नहीं कर सकता। आयोग ने शिकायतकर्त्ता से आग्रह किया कि वे लोगों को इस बात के लिए जागरूक करें कि खाद्यान्न मिलने से पहले किसी भी स्थिति में अपना अंगुठा या हस्ताक्षर न करें। चुँकि उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध करा दिया है, अतः आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

D:\Rachana\Court order.docx8

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph No.-0651-2252267